–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 61/2020

उनवान

किशना पुत्र काना जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामपुरा न्यारा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रूकमा पत्नी छोगा, **(तर्क)**
2. नन्दा पुत्र छोगा,
3. रतन पुत्र छोगा,
4. अमरचन्द पुत्र छोगा समस्त जातिगण गुर्जर निवासी ग्राम रामपुरा न्यारा तहसील नसीरबाद जिला अजमेर,
5. नन्दा पुत्री छोगा पत्नी सुखदेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामपुरा न्यारा हाल निवासी ग्राम बडसूरी तह पीसांगन जिला अजमेर,
6. देउ पुत्री छोगा पत्नी रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामपुरा नयारा हाल निवासी ग्राम बिडकचियावास तहसील पीसांगन,
7. सीता पुत्री छोगा पत्नी नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामपुरा न्यारा हाल निवासी ग्राम बिडकचियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर,
8. काली पुत्री छोगा पत्नी भंवर जाति गुर्जर निवासी रामपुरा न्यारा हाल निवासी ग्राम बिडकचियावास,
9. शारदा पुत्री छोगा पत्नी डगलसिंह निवासी ग्राम रामपुरा न्यारा हाल निवासी ग्राम छोडा तह मसूदा जिला अजमेर,
10. रामदेव पुत्र भोला,
11. दूदा पुत्र भोला,
12. सांवरा पुत्र भोला,
13. गीता पुत्री भोला,
14. लाडू पुत्र भोला,
15. छोटू पुत्र भोला जाति गुर्जर समस्त निवासी ग्राम कालाहेडी तहसील मसुदा जिला अजमेर,
16. राजू पुत्र लादू,
17. किशनगोपाल पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी रामपुरा न्यारा
18. मैनेजर युनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा बाघसूरी तह नसीराबाद,
19. मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा भवानीखेडा तह नसीराबाद,
20. उपपंजीयन अधिकारी नसीराबाद कार्यालय तहसीलदार नसीराबाद,
21. राजस्थान सरकार जरियें तहसील[illegible] [illegible]द जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण :– [illegible] स [illegible] जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर
17 [illegible] अनुपस्थित
20 [illegible] 21 जरियें राज0 पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: आदेश :-

दिनांक :- 15-6-22

प्रार्थी ने हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नाहरपुरा के हाल खसरा नम्बर 528/11.39, 436/0.15, 527/0.67, 529/0.38, 530/4.11 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 17 की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजी दिनांक 26.04.1985 को जरियें विक्रय पत्र छोगा, उदा व किशना पि0 काना व भोला, कल्ला, रेवंता पि0 काना ने क्रय की थी इस प्रकार प्रत्येक क्रेता का उक्त आराजी पर 1/6 हिस्सा निहित है। किशना पुत्र काना प्रकरण में प्रार्थी है। उक्त क्रेता में से उदा पुत्र काना नाऔलाद फौत हो गया है। जिस कारण उदा का उक्त आराजी पर निहित 1/6 हिस्सा का आधा भाग प्रार्थी में निहित होने से प्रार्थी का उक्त आराजी पर 1/4 हिस्सा निहित है। उदा पुत्र काना नाऔलाद फौत हो गया है इसके उपरान्त भी उसका हिस्सा हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 3 रतन पुत्र छोगा के नाम दर्ज कर दिया है। जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व आराजी मुतनाजा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा में उदा पुत्र काना ने भी 1/6 हिस्सा क्रय किया था। अप्रार्थीगण ने अपने -अपने सम्पूर्ण हिस्से का बैचान अप्रार्थी संख्या 3 की पत्नी व अप्रार्थी संख्या 4 की पत्नी के पक्ष में कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की पत्नी का ही हक है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में उदा को नाऔलाद फौत बताया है किन्तु उदा का पुत्र रतन पुत्र उदा मौजूद है। उदा की पत्नी नाथी देवी ने अप्रार्थी संख्या 3 रतन के नाम आराजी मुतनाजा का हक त्याग किया है जिस कारण उदा के हिस्से की आराजी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, जमाबंदी, आधार कार्ड, निर्वाचन पत्र, राशन कार्ड आदि से भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है। अप्रार्थी संख्या 3 आराजी मुतनाजा का रेकार्डेड खातेदार है। जिसे पावंद किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 का नाम तर्क किया गया।

बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि उदा पुत्र काना नाऔलाद फौत हो गया है। जिस कारण उदा का उक्त आराजी पर निहित 1/6 हिस्सा का आधा भाग प्रार्थी में निहित होने से प्रार्थी का उक्त आराजी पर 1/4 हिस्सा निहित है। उदा पुत्र काना नाऔलाद फौत हो गया है इसके उपरान्त भी उसका हिस्सा हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 3 रतन पुत्र छोगा के नाम [illegible] दिया है। जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व आराजी [illegible] अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। प्रकरण में उदा नाऔलाद फौत [illegible] के तथ्य [illegible] आदि से ही सिद्ध होंगे प्रकरण में भूमि पर आगे वाद [illegible] नही हो। इस कारण अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी अपने वाद पत्र में उदा के हिस्से पर खातेदारी अनुतोष चाहता है किन्तु न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण खातेदारों को पाबंद किया गया है। अप्रार्थी 10 से 15 द्वारा आराजी मुतनाजा पर अपना हिस्सा वैचान किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 10 से 15 के हिस्से पर प्रार्थी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :- आराजी मुतनाजा दिनांक 26.04.1985 को जरियें विकय पत्र छोगा, उदा व किशना पि0 काना व भोला, कल्ला, रेवंता पि0 काना ने क्य की थी इस प्रकार प्रत्येक केता का उक्त आराजी पर 1/6 हिस्सा निहित है। किशना पुत्र काना प्रकरण में प्रार्थी है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त केता में से उदा पुत्र काना नाऔलाद फौत हो गया है। जिस कारण उदा का उक्त आराजी पर निहित 1/6 हिस्सा का आधा भाग प्रार्थी में निहित होने से प्रार्थी का उक्त आराजी पर 1/4 हिस्सा निहित है। उदा पुत्र काना नाऔलाद फौत हो गया है इसके उपरान्त भी उसका हिस्सा हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 3 रतन पुत्र छोगा के नाम दर्ज कर दिया है। किन्तु राजस्व अभिलेख में उदा के हिस्से की आराजी अप्रार्थी संख्या 3 रतन पुत्र उदा के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि रतन छोगा का पुत्र है। तथा आराजी मुतनाजा रतन पुत्र उदा के नाम गलत दर्ज की गयी है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार छोगा की विरासत राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गयी है तथा अप्रार्थी संख्या 3 रतन यदि छोगा का पुत्र है तो छोगा की विरासत में रतन पुत्र छोगा का नाम किस कारण से दर्ज नही है यह प्रकरण में स्पष्ट नही है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि उदा के वारिस नाथी देवी पत्नी व रतन पुत्र है नाथी देवी द्वारा अपने हिस्से की आराजी रतन पुत्र उदा के नाम हक त्याग कर दी है अतः उदा के 1/6 हिस्से पर रतन पुत्र उदा का नाम सही रूप से दर्ज किया गया है। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में मूल विवादक यह है कि उदा नाऔलाद फौत हुआ है अथवा नही उक्त तथ्य का गुणावगुण पर निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। उदा के हिस्से पर व्यादेश नही दिया जाता है तो वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया प्रार्थी का पक्ष सिद्व होता है। किन्तु अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन कि प्रार्थी अपने वाद पत्र में उदा के हिस्से पर खातेदारी अनुतोष चाहता है किन्तु न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण खातेदारों को पावंद किया गया है। अप्रार्थी 10 से 15 द्वारा आराजी मुतनाजा पर अपना हिस्सा बैचान किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 10 से 15 के हिस्से पर प्रार्थी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा है। अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी संख्या 10 से 15 के विरूद्व सिद्व नही होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :- विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो [illegible] करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में अ[illegible] 10 से 15 के हिस्से के विरूद्ध कोई अनुतोष वांछित नही है। अप्रार्थीगण [illegible] आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है। जब तक हाल इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 10 से 15 [illegible] विरूद्ध प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होते तब तक रेकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी [illegible] जारी नही की जा सकती। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना [illegible] अप्रार्थी संख्या 10 से 15 के विरूद्ध सिद्व नही होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 10 से 15 का हिस्सा प्रकरण में अंतिम निस्तारण के समय भी प्रभावित नही होगा। अतः उनके विरूद्व व्यादेश दिया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

उक्तानुसार ग्राम नाहरपुरा के हाल खसरा नम्बर 528/11.39, 436/0.15, 527/0.67, 529/0.38, 530/4.11 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 10 से 15 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 10 ये 15 के हिस्से की भूमि बैचान पर किसी प्रकार का स्थगन प्रभावी नही है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:35 IST
Reason: SelfAttested